47/2020

A²/1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 47/2020

1. बलजीत सिंह पुत्र मन्दर सिंह जटसिख निवासी 31 एफ तहसील श्री करणपुर।

--वादी--

बनाम

1. उदय सिंह पुत्र पाल सिंह जटसिख निवासी 31 एफ तहसील श्री करणपुर।
2. पाल सिंह पुत्र चन्द सिंह जटसिख निवासी 31 एफ तहसील श्री करणपुर।
3. दलजीत सिंह पुत्र मन्दर सिंह जटसिख निवासी 31 एफ तहसील श्री करणपुर।
4. गुरमीत सिंह पुत्र जलन्धर सिंह जटसिख निवासी 31 एफ तहसील श्री करणपुर।
5. परमजीत कौर पुत्री गुरनाम सिंह जटसिख निवासी 31 एफ तहसील श्री करणपुर।
6. शिवभगवान पुत्र पृथ्वी सिंह जाट निवासी 31 एफ तहसील श्री करणपुर।
7. शंकर लाल पुत्र पृथ्वी सिंह जाट निवासी 31 एफ तहसील श्री करणपुर।
8. इन्द्रा देवी पुत्री पृथ्वी सिंह जाट निवासी 31 एफ तहसील श्री करणपुर।
9. शारदा देवी पुत्री पृथ्वी सिंह जाट निवासी 31 एफ तहसील श्री करणपुर।
10. रूकमणी पत्नि पृथ्वी सिंह जाट निवासी 31 एफ तहसील श्री करणपुर।
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर।

--प्रतिवादीगण--

1. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता -:वादी की ओर से:-
2. श्री इन्द्रजीत सिंह अधिवक्ता -:प्रतिवादी संख्या 1 ता 10:-
3. पैरोकार राज -:प्रतिवादी संख्या 11 की ओर से:-

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 13/07/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 4 की कुल 2.990 हैक्टर, खाता संख्या 57 की कुल 0.177 हैक्टर, खाता संख्या 37 की कुल 0.354 हैक्टर, खाता संख्या 42 की कुल 1.973 हैक्टर, खाता संख्या 35 की कुल 0.905 हैक्टर, खाता संख्या 66 की कुल 3.187 हैक्टर, खाता संख्या 83/2 की कुल 1.265 हैक्टर उक्त खातों में कुल 10.852 हैक्टर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादीगण जो एक ही चक के काश्तकार है। एंव उनकी भूमि का हिस्सा समान होने के कारण एवं उनकी भूमि एक दूसरे के साथ चिपती होने के कारण हम पक्षकारन ने काश्त सहूलियत के लिए विवादित समस्त कृषि भूमि का काफी वर्षो पूर्व आपस में मौखिक बंटवारा कर लिया था एवं उसी बंटवारा अनुसार सभी पक्षकारन अपने-अपने हिस्से में आयी भूमि पर काबिज चले आ रहे है। वादी प्रतिवादीगण को शुरू से ही उक्त सम्पति मौखिक बंटवारा के अनुसार एंव कब्जा काश्त के अनुसार अपने अपने नाम दर्ज करवाने के लिए कहता आ रहा है। लेकिन प्रतिवादीगण हमेशा टाल मटोल करते आ रहे है। आज से 10 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण के सम्पर्क कर उनको विवादित भूमि कृषि भूमि का नामान्तरण पारिवारिक सम्पति विभाजन के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गए यही वाद कारण है। विवादित कृषि

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

बलजीत सिंह बनाम उदय सिंह आदि

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 91 आरटीए, प्रकरण संख्या 47/2020

भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण मौखिक बंटवारा अनुसार गत कई वर्षो से बेरोकटोक शान्तिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। इस कारण वादी उक्त सम्पति को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर को बतौर लैण्ड होल्डर दावा मे पक्षकार बनाया गया है। वाद पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर,अन्दर मियाद पेश है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। अतः दावा निम्न प्रकार से डिक्री किया जावेः- चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 4 के मुरब्बा नं0 11 के किला नं0 3, 4, 5, 6, 7, 8 14, 15, 16, 17 में कुल 2.453 है0 नहरी कृषि भूमि की प्रतिवादी संख्या 1 उदय सिंह के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 9 रूकमणी देवी को स्वामी घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। इसी खाता के मुरब्बा नं0 24 के किला नं0 3, 4/1, 8 में कुल 0.537 है0 नहरी कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 उदय सिंह के स्थान पर वादी बलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 दलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 गुरमीत सिंह को बहिस्सा बराबर स्वामी घोषित किया जाकर उनके नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 57 के मुरब्बा नं0 11 के किला नं0 2 में 0.177 है0 नहरी कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 उदय सिंह के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 6 शिवभगवान व प्रतिवादी संख्या 7 शंकर लाल को बहिस्सा बरबार स्वामी घोषित किया जाकर उनके नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 37 के मुरब्बा नं0 11 के किला नं0 1/2 व 9 में कुल 0.354 है0 नहरी कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 पाल सिंह के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 6 शिवभगवान व प्रतिवादी संख्या 7 शंकर लाल को बहिस्सा बरबार स्वामी घोषित किया जाकर उनके नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 42 के मुरब्बा नं0 11 के किला नं0 23, 24, 25 में कुल 0.759 है0 का वादी बलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 दलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 गुरमीत सिंह के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 6 शिवभगवान व प्रतिवादी संख्या 7 शंकर लाल को बहिस्सा बरबार स्वामी घोषित किया जाकर उनके नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। इसी प्रकार मुरब्बा नं0 25 के किला नं0 16, 17/2, 23, 24, 25 मे कुल 1.214 है0 नहरी कृषि भूमि का वादी बलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 दलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 गुरमीत सिंह के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 5 परमजीत कौर को 0.905 है0 एवम प्रतिवादी संख्या 1 उदय सिंह को 0.310 है0 का स्वामी घोषित किया जाकर उनके नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 35 के मुरब्बा नं0 24 के किला नं0 4/2, 5, 6, 7 में कुल 0.905 है0 नहरी कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 परमजीत कौर के स्थान पर वादी बलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 दलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 गुरमीत सिंह को बहिस्सा बराबर स्वामी घोषित किया जाकर उनके नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 66 के मुरब्बा नं0 30 के 2.479 है0 नहरी कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 रूकमणी देवी के स्थान पर प्रतिवादी संख्या उदय सिंह

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

को 2.130 है0 व प्रतिवादी संख्या 2 पाल सिंह को 0.354 है0 नहरी कृषि भूमि का स्वामी घोषित किया जाकर उनके नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार किया जावे। इसी प्रकार मुरब्बा नं0 25 के किला नं0 20, 21, 22 मे कुल 0.708 है0 नहरी कृषि भूमि का वादी बलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 दलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 गुरमीत सिंह के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 उदय सिंह को स्वामी घोषित किया जाकर उनके नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 83 के मुरब्बा न0 24 के किला नं0 21 से 25 के 1.265 है0 नहरी कृषि भूमि का वादी एंव प्रतिवादी संख्या 6 शिवभगवान व प्रतिवादी संख्या 7 शंकर लाल के स्थान पर वादी बलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 दलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 गुरमीत सिंह को बहिस्सा बराबर नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 10 की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह उपस्थित आए। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 10 के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। दोनो पक्षों की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। राजीनामा दोनो पक्षो को पढकर सुनाया गया दोनो पक्षो के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया राजीनामा तस्दीक किया जाकर पत्रावली में सलग्न किया गया।

दोनो पक्षो के अधिवक्तागण के द्वारा उपस्थित आकर निवेदन किया गया कि प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री किया जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। इसलिए राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री किया जावे।

दोनो पक्षों के अधिवक्तागण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया दोनो पक्ष प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादपत्र डिक्री हेतु सहमत है। वादीगण का वादपत्र दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाकर चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 4 की कुल 2.990 हैक्टर, खाता संख्या 57 की कुल 0.177 हैक्टर, खाता संख्या 37 की कुल 0.354 हैक्टर, खाता संख्या 42 की कुल 1.973 हैक्टर, खाता संख्या 35 की कुल 0.905 हैक्टर, खाता संख्या 66 की कुल 3.187 हैक्टर, खाता संख्या 83/2 की कुल 1.265 हैक्टर भूमि, उक्त खातों में कुल 10.852 हैक्टर भूमि का वादी व प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जाते है:-

1. **चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 4** के मुरब्बा नं0 11 के किला नं0 3, 4, 5, 6, 7, 8 14, 15, 16, 17 में कुल 2.453 है0 नहरी कृषि भूमि की प्रतिवादी संख्या 1 उदय सिंह के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 9 रूकमणी देवी को स्वामी घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे।
2. **चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 4** के मुरब्बा नं0 24 के किला नं0 3, 4/1, 8 में कुल 0.537 है0 नहरी कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 उदय सिंह के स्थान पर वादी बलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 दलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 गुरमीत सिंह को बहिस्सा बराबर स्वामी घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

47/2020

A²/4

3. चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 57 के मुरब्बा नं0 11 के किला नं0 2 में 0.177 है0 नहरी कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 उदय सिंह के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 6 शिवभगवान व प्रतिवादी संख्या 7 शंकर लाल को बहिस्सा बराबर स्वामी घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे।

4. चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 37 के मुरब्बा नं0 11 के किला नं0 1/2 व 9 में कुल 0.354 है0 नहरी कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 पाल सिंह के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 6 शिवभगवान व प्रतिवादी संख्या 7 शंकर लाल को बहिस्सा बरवार स्वामी घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे।

5. चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 42 के मुरब्बा नं0 11 के किला नं0 23, 24, 25 में कुल 0.759 है0 का वादी बलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 दलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 गुरमीत सिंह के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 6 शिवभगवान व प्रतिवादी संख्या 7 शंकर लाल को बहिस्सा बरावर स्वामी घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे।

6. चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 42 के मुरब्बा नं0 25 के किला नं0 16, 17/2, 23, 24, 25 मे कुल 1.214 है0 नहरी कृषि भूमि का वादी बलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 दलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 गुरमीत सिंह के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 5 परमजीत कौर को 0.905 है0 एवम प्रतिवादी संख्या 1 उदय सिंह को 0.310 है0 का स्वामी घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे।

7. चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 35 के मुरब्बा नं0 24 के किला नं0 4/2, 5, 6, 7 में कुल 0.905 है0 नहरी कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 5 परमजीत कौर के स्थान पर वादी बलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 दलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 गुरमीत सिंह को बहिस्सा बराबर स्वामी घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे।

8. चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 66 के मुरब्बा नं0 30 के 2.479 है0 नहरी कृषि भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 रूकमणी देवी के स्थान पर प्रतिवादी संख्या उदय सिंह को 2.125 है0 व प्रतिवादी संख्या 2 पाल सिंह को 0.354 है0 नहरी कृषि भूमि का स्वामी घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे।

9. चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 66 के मुरब्बा नं0 25 के किला नं0 20, 21, 22 मे कुल 0.708 है0 नहरी कृषि भूमि का वादी बलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 दलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 गुरमीत सिंह के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 उदय सिंह को स्वामी घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

बलजीत सिंह बनाम उदय सिंह आदि

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 91 आरटीए, प्रकरण संख्या 47/2020

10.चक 31 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 83 के मुरब्बा नं0 24 के किला नं0 21 से 25 के 1.265 है0 नहरी कृषि भूमि का वादी एंव प्रतिवादी संख्या 6 शिवभगवान व प्रतिवादी संख्या 7 शंकर लाल के स्थान पर वादी बलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 3 दलजीत सिंह, प्रतिवादी संख्या 4 गुरमीत सिंह को बहिस्सा बराबर स्वामी घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जावे।

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे, खातेदार द्वारा आहरित ऋण उन्हें विभाजन में प्राप्त भूमि पर अन्तरित होकर उस खाता में रहन दर्ज किया जावे। स्टाम्प डयूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार राजस्व श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

{मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर